कार्यालय जिला एवं सेशन न्यायाधीश, जयपुर महानगर–प्रथम

क्रमांक : स्था / 09 / 2023 / 3049 दिनांकः– 28 जुलाई, 2023

— : आ–दे–श : —

01 माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर के आदेश क्रमांक G/I/A-4(i)(a)/1/76/892 दिनांक 29.06.2023 द्वारा निम्नांकित सारणी में अंकित कर्मचारी का निम्नांकित शर्तों के अधीन जयपुर महानगर–प्रथम न्यायक्षेत्र में रिक्त पद पर अंतर–जिला पारस्परिक स्थानान्तरण का अनुमोदन किया गया है :–

1– प्रार्थी / प्रार्थिया को स्थानान्तरण पर यात्रा भत्ता देय नहीं होगा।
2– प्रार्थी / प्रार्थिया कार्यग्रहण काल का उपभोग नहीं कर सकेंगे।
3– प्रार्थी / प्रार्थिया की वरिष्ठता स्थानान्तरण पॉलिसी / नियमों के अधीन रहेगी।

अतः अंतर–जिला पारस्परिक स्थानान्तरण के परिणामस्वरूप निम्नांकित कर्मचारी का पदस्थापन उनके नाम के सम्मुख अंकित न्यायालय में निम्नानुसार किया जाता है:–

क्र0 सं0	नाम कर्मचारी एवं पद सर्वश्री / श्रीमती / सुश्री	नाम न्यायालय जिसमें स्थानान्तरण / पदस्थापन किया जाता है	कर्मचारी जिसके स्थान पर लगाया जाता है
01	02	03	04
01	राजकुमार शर्मा, तामील कुनिन्दा (जयपुर महानगर–द्वितीय न्यायक्षेत्र) DOJ : 10.07.2023 A/N	DJ Court	तामील कुनिन्दा के रिक्त पद पर

उक्त कर्मचारी का वेतन जयपुर महानगर–प्रथम न्यायक्षेत्र में कार्यभार ग्रहण करने की दिनांक से उक्त पदस्थापन न्यायालय से नियमानुसार आहरित किया जावेगा।

02 श्री सौरभ कुमार तंवर लिपिक ग्रेड–I को न्यायालय अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश क्रम–3, जयपुर महानगर–प्रथम से पारिवारिक न्यायालय क्रम–4, जयपुर महानगर–प्रथम में आगामी आदेश तक कार्य–निष्पादन हेतु लगाया जाता है।

नोटः–

a) उक्त कर्मचारी का वेतन उनके पदस्थापन न्यायालय द्वारा आहरित किया जावेगा। उक्त कर्मचारी अपनी उपस्थिति कार्य–निष्पादन वाले न्यायालय में अंकित करेंगे तथा इनका आकस्मिक अवकाश भी कार्य–निष्पादन वाले न्यायालय द्वारा स्वीकृत किया जावेगा। इनकी उपस्थिति बाबत् सूचना नियमानुसार पदस्थापन न्यायालय को भिजवाई जावे।

b) उक्त कर्मचारी को नवीन पदस्थापन न्यायालय में कार्यभार ग्रहण करने हेतु तीन दिवस में आवश्यक रूप से कार्यमुक्त किया जाकर पालना रिपोर्ट इस कार्यालय को भिजवायी जावे।

c) संबंधित कर्मचारी को निर्देशित किया जाता है कि वह कार्यमुक्ति से पूर्व संबंधित वर्ष अवधि के लिये वार्षिक गोपनीय प्रतिवेदन के भाग–I की पूर्ति कर पीठासीन अधिकारी को प्रस्तुत करेंगे, जो 7 दिवस के भीतर भाग–II की पूर्ति कर इस कार्यालय को प्रेषित करेंगे।

Sd/-

जिला एवं सेशन न्यायाधीश
जयपुर महानगर–प्रथम

क्रमांक : स्था / 09 / 2023 / 3049 दिनांकः– 28 जुलाई, 2023

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :–

01 प्रभारी अधिकारी (लेखा / तामील शाखा), जिला न्यायालय, जयपुर महानगर–प्रथम
02 संबंधित न्यायालय / कर्मचारी ...., जयपुर महानगर–प्रथम
03 वरिष्ठ मुंसरिम, जिला न्यायालय, जयपुर महानगर–प्रथम
04 सिस्टम ऑफिसर को न्यायालय की वेबसाईट पर अपलोड़ करने हेतु
05 निजी पत्रावली संबंधित कर्मचारी ....
06 आदेश पत्रावली / संबंधित पत्रावली / रक्षित पत्रावली

जिला एवं सेशन न्यायाधीश
जयपुर महानगर–प्रथम